

पटना में दिनांक-15 जनवरी, 2013 मंगलवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग**
1. वित्तीय वर्ष 2012-13 में गैर-योजनान्तर्गत बिहार पुराविद् परिषद्, पटना को ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। 1. स्वीकृत।
- कृषि विभाग**
2. श्री निरंजन कुमार तत्कालीन जिला उद्यान पदाधिकारी, दरभंगा सम्प्रति जिला उद्यान पदाधिकारी, बेगूसराय के विरुद्ध राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत संचालित वर्मी कम्पोस्ट अनुदान योजना में अनुदान की राशि का चेक देने के लिए लाभुक से 2000/- (दो हजार) रुपये रिश्वत मांगने/अनुदान से संबंधित चेक पंजी पर हस्ताक्षर के साथ तिथि अंकित नहीं करने/वियरर चेक वितरित नहीं करने के प्रमाणित आरोपों के परिपेक्ष्य में सरकारी सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में। 2. स्वीकृत।
- पर्यटन विभाग**
3. तीर्थयात्री बंगला, विद्यापतिनगर, समस्तीपुर को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को हस्तान्तरित करने के संबंध में। 3. स्वीकृत।
- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**
4. किशनगंज जिले एवं अंचल के मौजा-मोतीहारा- तालुका थाना नं०-11 खाता सं०-343, खेसरा सं०- 610, रकबा-77.19 एकड़ गैर मजरूआ खास, बिहार सरकार किस्म-नदी डोक भूमि, 1,38,94,200 (एक करोड़ अड़तीस लाख चौरानवे हजार दो सौ) रूपया सलामी एवं सलामी के 5% के 25 गुणा अर्थात् 1,73,67,700 (एक करोड़ तिहत्तर लाख सड़सठ हजार सात सौ) रूपया पूंजीकृत मूल्य सहित कुल 3,12,61,950 (तीन करोड़ बारह लाख इकसठ हजार नौ सौ पच्चास) रूपया के भुगतान पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को एस०एस०बी० 36वीं बटालियन के मुख्यालय के निर्माण हेतु स्थायी हस्तांतरण। 4. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

5. पटना जिला के पटना सदर अंचल अन्तर्गत थाना सं०-15 मौजा-सघनपुरा के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल-06.37 एकड़ भूमि (सूची संलग्न) जो एस०टी०एफ० की है, अर्थात् गृह (विशेष) विभाग, बिहार के स्वामित्व की है, जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना के विस्तार हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को रू० 8,00,000.00 (आठ लाख) प्रति डिसमिल की दर से कुल सलामी रू० 50,96,00,000.00 (पचास करोड़ छियानबे लाख) तथा सलामी का 5 प्रतिशत वार्षिक लगान रू० 2,54,80,000.00 (दो करोड़ चौवन लाख अस्सी हजार) का 25 गुना रू० 63,70,00,000.00 (तिरसठ करोड़ सत्तर लाख) पूँजीकृत मूल्य की राशि जोड़ कर अर्थात् कुल रू० 1,14,66,00,000.00 (एक अरब चौदह करोड़ छियासठ लाख) के भुगतान पर स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।
5. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

6. राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के स्वीकृत पद, नियुक्ति, प्रोन्नति एवं वेतन निर्धारण एवं बकाया वेतनादि एवं पेंशनादि राशि की अनुमान्यता की जाँच हेतु श्री भी०एस० दूबे की अध्यक्षता में गठित समिति का कार्यबल, कार्यकाल, शक्ति एवं उसके द्वारा अंगीकृत की जाने वाली कार्यों की प्रक्रिया को पुर्ननिर्धारित किये जाने के संबंध में।
6. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

7. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय कर्मियों के वेतन निर्धारण के सत्यापन हेतु सत्यापन कोषांग का गठन।
7. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

8. पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य योजना से प्रीमियम अनुदान मद में प्राप्त अतिरिक्त राशि 6400.00 लाख रू० (छोसठ करोड़ रू०) मात्र की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं व्यय की स्वीकृति।
8. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

9. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 630.00 लाख की लागत से प्रति इकाई 5000 मे० टन क्षमता के दो नये गोदाम निर्माण के अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य योजनान्तर्गत 326.00 लाख रू० अनुदान की स्वीकृति।
9. स्वीकृत।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

10. श्री सैयद शमीम अख्तर, उप निदेशक-सह-माननीय मुख्यमंत्री के जन-सम्पर्क पदाधिकारी (दिनांक-31.12.2012 के अपराहन से सेवानिवृत्त) सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग को माननीय मुख्यमंत्री के जन-सम्पर्क पदाधिकारी के पद पर एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में।
10. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

11. इस्लामपुर, नालन्दा में ए० एन० एम० स्कूल खोलने तथा इसके लिए 12 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।
11. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

12. "मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना" के कार्यान्वयन के संबंध में।
12. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

13. वित्तीय वर्ष 2012-13 में मुख्य शीर्ष-2406-वाणिकी तथा वन्य प्राणी, उपमुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-101-वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, मांग संख्या-19, उपशीर्ष-0109-अवकृष्ट वनों का पुनर्वास, विपत्र कोड-P-2406011010109 के विषय शीर्ष-02 01-मजदूरी में कुल ₹ 483.29 लाख (चार करोड़ तिरासी लाख उनतीस हजार ₹) मात्र का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति।
13. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

14. पटना जिला के अंचल-पालीगंज, मौजा-खनपुरा टॉडी, थाना संख्या-349 में खाता सं०-188, खेसरा सं०-442 कुल रकबा-0.50 एकड़ गैर मजरूआ मालिक भूमि रु० 40,000.00 प्रति डिसमिल की दर से कुल-0.50 एकड़ भूमि की सलामी =रु०(40,000.00 X 50) =रु०20,00,000.00 (बीस लाख) और सलामी का 5 प्रतिशत वार्षिक व्यावसायिक लगान =रु० (20,00,000.00 X 5/100) =रु०1,00,000.00 (एक लाख) का 25 गुणा =रु० (1,00,000.00 X 25) =रु०25,00,000.00 (पच्चीस लाख) पूँजीकृत मूल्य के भुगतान पर अर्थात् कुल भुगतेय राशि सलामी + पूँजीकृत मूल्य रु० 20,00,000.00 + 25,00,000.00= रु० 45,00,000.00 (पैंतालीस लाख) के भुगतान पर विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।
14. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

15. बिहार राज्य जल पर्षद, पटना को राज्य योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष (2012-13) में स्थापना मद (वेतन एवं भत्ता) हेतु 442.00 लाख (चार करोड़ बयालिस लाख) रूपये, अन्य मद में 97.00 लाख (सन्तानवे लाख) रूपये कुल 539.00 लाख रूपये एवं कार्य मद हेतु 200.00 लाख (दो करोड़) रूपये यानि कुल 739.00 लाख (सात करोड़ उनचालीस लाख) रूपये के सहायक अनुदान की स्वीकृति।

15. स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

16. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) नियमावली 2006 के नियम 11 में संशोधन करने के संबंध में।

16. स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

17. पंचदश बिहार विधान सभा के अष्टम (बजट) सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 173वें सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति के संबंध में।

17. स्वीकृत।